न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 55 / 17

ताराचन्द पुत्र टीकमसिंह जाति कुशवाह आयु 54 निवासी ग्रांम बहरावली तहसील रुपवास जिला भरतपुर हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत भैंसा तहसील रुपवास

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर (प्रथम) जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 1–8–2017 प्रकरण संख्या 93 / 2016 एवं 48 / 2017

निर्णय **दिनांक 30.11.2017**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 1–8–2017 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर किया जाकर जमा प्रतिभूमि राशि 1000 / – रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद गलत हैं। उनका कहना है कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस तारीख 22.5.2017 दिया था जिसका लिखित जबाब दिनांक 28.6.2017 को पेश कर दिया था। उसके बाद प्रार्थी डीलर को कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि दूसरी पत्रावली 93 / 2016 का नोटिस अपीलान्ट को नहीं मिला है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में गुपचुप तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसकी जानकारी दिनांक 6.9.2017 को तहत न्यायालय कार्यालय में आने पर जानकारी करने पर मालूम हुआ। उनका यह भी कहना है कि प्रकरण 48 / 2017 में लिखित जबाब के साथ दस्तावेज पेश किये थे। उपभोक्ताओं ने लिखित में भी राशन सामग्री मिलने बाबत दिया है तथा शिकायत का वापिस लेने बाबत लिखा है। परन्तु तहत न्यायालय ने इस पर को विववेचन नहीं किया है। सारी कार्यवाही इकतरफा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सुने की गई है। तहत न्यायालय को सत्यता की

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जांच के लिये उपभोक्ताओं को बुलाकर कर जांच करनी चाहिये थी परन्तु यहॉ ऐसा नहीं किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ई.ओ. ने अपने तर्को में बताया कि डीलर द्वारा ऑन लाईन सिस्टम में वितरण इन्द्राज और राशन कार्ड के इन्द्राज में अलग अलग किये गये हैं। वितरण सामग्री गेंहू व चीनी का वितरण कम किया गया है। मौके पर सम्बन्धित उपभोक्ताओं के राशनकार्ड मंगाकर एवं उनमें हो रहे इन्द्राज की जॉच एवं पूछताछ की गई है। उपभोक्तओं ने डीलर द्वारा सामग्री का कम वितरण करना बताया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2017 पर गौर किया गया। कारण बताओ नोटिसों एवं अपीलार्थी डीलर द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया।

जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2017 पेज संख्या 3 के पैरा न.1 में प्रकरण संख्या 48/2017 कथन किया है कि –

> ''.....डीलर को जारी नोटिस का विवेचन किया । अप्रार्थी डीलर के द्वारा अपने जबाब में यह कहना कि सभी उपभोक्ताओं राशन सामग्री का वितरण किया गया है जब कि अप्रार्थी डीलर ने अपने जबाब के साथ उपभोक्ता रामसिंह पुत्र इन्दरसिह के राशनकार्ड नम्बर 007524700534,उदयसिंह पुत्र भोपा राशनकार्ड संख्या 00118, कलुआराम पुत्र इन्दरसिह राशनकार्ड संख्या 007524700525, लच्छीराम पुत्र पुन्नीराम राशनकार्ड संख्या 007524700533, उमेश पुत्र रामूर्ती राशनकार्ड संख्या 00073, भूपेश पुत्र रामजीलाल राशनकार्ड संख्या 00410 की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की है। उक्त राशनकार्ड की छायाप्रतियों पर ही उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री प्राप्त करना स्वीकार किया है। लेकिन अप्रार्थी डीलर ने राशनकार्ड की प्रतियों के साथ वितरित सामग्री के इन्द्राज वाले पेजों की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिसके अभाव में डीलर द्वारा उपभेक्ता को दी सामग्री का इन्द्राज राशनकार्ड में किया गया है अथवा नहीं का सत्यापन नहीं हो पाया है। अप्रार्थी डीलर के द्वारा प्रस्तुत की गई छायाप्रतियों को मान भी लिया जाता है तो भी अप्रार्थी डीलर ने नोटिस में अंकित उपभोक्ताओं में से उपभोक्ता फूलवती, शंकर, विरजोराम, हुकमसिंह, भोपसिंह, बसन्ता, शिवलाल , नवल, विशाल, विजेन्द्र, प्रदीप, श्रीलाल के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण 205किग्रा गेहूं, 75.5 लीटर कैरोसीन तथा 28 किग्रांम चीनी का दुरुपयोग स्थापित है.....।''

उक्त से यह स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने डीलर के खिलाफ लगाये गये आरोपों के बाबत साक्ष्य तलब कर परीक्षण नहीं किया गया है।

प्रकरण संख्या 93/2016 अपीलाधीन आदेश के पेज–4 के पैरा दो में अंकित है–

> ''..... अप्रार्थी डीलर ने कारण बाताओ नोटिस का जबाब प्रस्तुत नहीं किया है अप्रार्थी डीलर के द्वारा जबाब/स्पीष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी डीलर पर निर्धारित किये गये आरोप सही सिद्व होते हैं.....।''

.....3

इस प्रकार प्रकरण संख्या 93/2016 में अपीलान्ट डीलर पर लगाये गये आरोपों को केवल अपीलान्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाब प्रस्तुत करने के आधार आरोपों को सिद्व माना है।

मेरी विनम्र राय में न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तों का किस रुप में उल्लंघन किया गया है, परीक्षण न्यायालय को साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिये। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को डीलर द्वारा दिये गये जवाब एवं आरोपों को मध्यनजर पृथक–पृथक बिन्दु पर विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी को सुनवाई एवं जिरह का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण पुनः निर्णय लिये जाने जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1–8–2017 निरस्त किया जाता है। डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जाती है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रकरण का परीक्षण करें। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 30–11–2017 को सुनाया गया।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर